अदलपुर में विवाहिता को गोली मारी, पुलिस जांच में उलझी

परिजनों के बदलते बयान से बढ़ा संदेह, एसडीपीओ ने कहा- फर्दबयान के बाद होगा खुलासा

हाजीपुर (वैशाली)। सदर थाना क्षेत्र के अदलपुर मे बुधवार सुबह करीब 10 बजे विवाहिता को गोली लगने से हड़कंप मच गया। घायल की पहचान सोनू राय की पत्नी दीवानी कुमारी के रूप में हुई है। परिजन उसे तत्काल हाजीपुर सदर अस्पताल ले गए, जहां से गंभीर हालत में पीएमसीएच पटना रेफर कर दिया गया।

सूचना पर सदर थानाध्यक्ष और एसडीपीओ-1 सुबोध कुमार ने घटनास्थल का जायजा लिया। प्रारंभिक छानबीन में पुलिस के सामने सबसे बड़ा पेंच घटनास्थल को लेकर फंसा है। परिजन पहले कह रहे थे कि गोली घर के बाहर चली, फिर बयान बदला कि दलान में चली, तीसरी बार कहा कि घर के अंदर वारदात हुई। तीन अलग-अलग लोकेशन बताने से पुलिस को मामले में कुछ संदिग्ध लग रहा है।

मिली जानकारी के अनुसार पुलिस यह भी पता लगा रही है कि गोली लाइसेंसी हथियार से चली या अवैध हथियार से और घर में हथियार कहां से आया। मौके से साक्ष्य जुटाए गए हैं और आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है। पीड़िता अभी बयान देने की स्थिति में नहीं है, इसलिए वारदात की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है। सदर एसडीपीओ-1 सुबोध कुमार ने बताया कि आदलपुर में विवाहिता को गोली लगने की सूचना पर पुलिस ने जांच शुरू की है। परिजनों के बयानों में विरोधाभास है। मामला दर्ज कर सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है। पीड़िता के होश में आने के बाद उसका फर्द बयान लेकर सच्चाई सामने लाई जाएगी और दोषी पर कारवाई होगी।



पटाखा बरामदगी मामले में प्राथमिकी दर्ज

गोरौल वैशाली (आससे)। गोरौल से मंगलवार को बरामद अवैध पटाखे को लेकर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है। थानाध्यक्ष सुनील कुमार द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी में बताया गया है कि दिवाली एंव छठ पर्व में सुरक्षा, शांति व्यवस्था बनाये रखने तथा अग्नि कांड जैसे अप्रिय घटनाओं को रोकने के लिए गोरौल थाना अंतर्गत संचालित थोक एंव खुदरा पटाखा विक्रेताओं के दुकानों एंव गोदामों की सघन जांच की जा रही है। इसी कड़ी में गुप्त सूचना मिली कि गोरौल वार्ड नंबर - 9 निवासी सीताराम गुप्ता के घर में काफी मात्रा में विस्फोटक पटाखा रखकर बेचा जा रहा है। सूचना मिलते ही जब वहां पहुंचा तो पुलिस गाड़ी को देख एक व्यक्ति भागने लगा, जिसे खदेड़ कर पकड़ लिया गया। पकड़ेगए व्यक्ति की पहचान सीताराम गुप्ता के रूप में की गयी है। जब पकड़ाये व्यक्ति की घर की तलाशी ली गई तो विभिन्न तरहों के पटाखे 24 कार्टुन जिसका वजन 9 क्विंटल 43 किलो के अलावे लगभग 10 बोरे में पैक 2 क्विंटल 33 किलो यानि कुल 11 क्विंटल 76 किलो बरामद की गई। जब गिरफ्तार व्यक्ति से उक्त विस्फोटक पटाखे के बारे में पूछा गया तो उसके द्वारा कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया।

टीबी मरीजों की पहचान के लिए लगा स्वास्थ्य शिविर

सोनपुर कोर्ट। सोनपुर प्रखंड के भरपुरा पंचायत भवन में बुधवार को स्वास्थ्य विभाग के निर्देश पर टीबी (क्षय रोग) मरीजों की पहचान के लिए स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। अनुमंडल अस्पताल के तहत आयोजित इस शिविर में चिकित्सकों की निगरानी में लोगों की जांच की गई। इस दौरान टीबी के जांच रिपोर्ट आने के बाद संभावित मरीजों को चिह्नित करने के साथ ही उन्हें बीमारी के लक्षण, उपचार, दवा के नियमित सेवन और आवश्यक सावधानियों के बारे में जानकारी दी जायेगी।

उक्त बात की जानकारी देते हुए डॉक्टर लालजी प्रसाद ने बताया कि सिविल लगाकर भरपुरा में 52 लोगों को जांच किया गया है. जांच रिपोर्ट आने के बाद मरीज को पहचान की जाएगी।पहचान होने के उपरांत मरीजों को स्वास्थ्य विभाग के दिशा निर्देश का पालन करते हुए इस रोग से मुक्ति दिलाना है.उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से आयोजित इस शिविर का उद्देश्य टीबी के संभावित मरीजों की समय पर पहचान करना तथा उन्हें उचित जांच और उपचार की सुविधा उपलब्ध कराना है। शिविर में एक्स-राय टेक्निशियन धीरज कुमार व ए एनएम बबली कुमारी सहित अन्य स्वास्थ्यकर्मियों ने लोगों को बताया कि लगातार दो सप्ताह या उससे अधिक समय तक खांसी रहना, खांसी के साथ बलगम या खून आना, शाम के समय बुखार होना, रात में पसीना आना, वजन घटना और कमजोरी महसूस होना टीबी के प्रमुख लक्षण हो सकते हैं। ऐसे लक्षण दिखाई देने पर लोगों को बिना देर किए नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में जांच करानी चाहिए।

इस शिविर में उपस्थित रहे जुली कुमारी फसलेटर, एएन एम नूतन कुमारी,ग्रामीण चिकित्सक राजीव कुशवाहा,आशा पूनम कुमारी,प्रेमसुधा कुमारी,ममता कुमारी,किरण कुमारी,मंजू देवी,विभा देवी, आरती कुमारी सहित अन्य स्वास्थ्य कर्मी मौजूद रहे।

पूर्वोत्तर रेलवे

ई-निविदा सूचना

भारत के राष्ट्रपति की ओर से एवं उनके लिये प्रमुख मुख्य विद्युत अभियंता/पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर निम्नलिखित कार्य हेतु आनलाईन (ई-टेन्डरिंग) के माध्यम से 'खुली' निविदा आमंत्रित करते हैः-

कार्य का नामः- उत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल के महारानी पश्चिम-दीन दयाल उपध्याय खंड में, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन पावर सप्लाई इंस्टॉलेशन की क्षमता बढ़ाने के काम के लिए, EPC मोड पर 2x25 KVAT ट्रैक्शन फीडिंग सिस्टम हेतु ट्रैक्शन सब-स्टेशनों और उनसे जुड़े स्विचिंग पोस्ट की डिजाइन, आपूर्ति, निर्माण, परीक्षण और कमीशनिंग का कार्य। ई-निविदा सूचना संख्याः EPC-PSI-MWP-DDU-NER, अनुमानित लागतः ₹ 2,00,33,74,545/-, बिड सिक्योरिटी (अमानत राशि): ₹ 4,00,67,500/-, निविदा बन्द होने की तिथिः 10-12-2026, स्वीकृत पत्र जारी होने के समय से कार्य समापन/अवधि की तिथिः 24 महीने।

• पूर्ण विवरण एवं निविदा को प्रस्तुति करने के लिये भारतीय रेल के वेबसाइट *www.ireps.gov.in* पर देखें। • यदि निविदा सूचना में हिन्दी एवं अंग्रेजी में अन्तर होता है तो निविदा सूचना में अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।

मुख्य विद्युत अभियंता/प्रोजेक्ट, लखनऊ

मुजाधि/विद्युत-244

गाड़ियों की छतों व पायदान पर कदापि यात्रा न करें।

महुआ में गल्ला व्यवसायी से बाइक सहित डेढ़ लाख की लूट

दो बाइक पर आये पांच अपराधियों ने दिया वारदात को अंजाम, पुलिस जांच में जुटी

महुआ (आससे)। महुआ में अपराधियों ने लूट की बड़ी घटना को अंजाम दिया है। घटना निझमा-बड़हर चौक मुख्य मार्ग की है, जहां दो बाइक पर सवार पांच अपराधियों ने हथियार के बल पर गल्ला व्यवसायी से डेढ़ लाख रुपये नकद और बाइक लूट ली। पीड़ित की पहचान कुशहर पुल, नरसिंहपुर बंगाही गांव निवासी राजीव कुमार साह के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि राजीव कुमार निझमा चौक से बड़हर चौक की ओर जा रहे थे, तभी घात लगाए अपराधियों ने ओवरटेक कर उन्हें रोक लिया। अपराधियों ने पिस्तौल दिखाकर नकद रुपये और बाइक छीन ली और फरार हो गए।

सूचना मिलते ही महुआ एसडीपीओ पंकज कुमार और थानाध्यक्ष अरविंद कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और छानबीन शुरू की। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और अपराधियों की पहचान में जुटी है। दिनदहाड़े हुई इस लूट से इलाके के व्यवसायियों में दहशत का माहौल है। पुलिस का कहना है कि अपराधियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।



विद्यालय में ई कचरा प्रबंधन पर हुई कार्यशाला

गोरौल वैशाली (आससे)। प्राथमिक विद्यालय गोरौल चकव्यास में ई कचरा प्रबंधन एवं जागरूकता पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम प्रधानाध्यापक प्रणव कुमार के नेतृत्व में किया गया। बताया गया कि ई कचरा प्रबंधन एवं जागरूकता अभियान पर आधारित चेतना सत्र , क्विज प्रतियोगिता ई कचरा के निस्तारण पर चर्चा किया गया। इसके अंतर्गत इको क्लब के बच्चों ने हरा ,नीला, लाल एवं काला डस्टबिन जिसमें क्रमश: गीला , सूखा , सेनेटरी एवं ई कचरा अर्थात इलेक्ट्रॉनिक कचरा जैसे बेकार की पुरानी मोबाइल चार्ज बैटरी बल्ब कंप्यूटर के पार्ट्स की पहचान कर उसमें रखना तथा कचरो का सही निस्तारीकरण एवं पुनर्चक्रण की समझ विकसित की गई। बच्चों से विद्यालय में ई कचरा पर आधारित प्रश्नोत्तरी, क्विज प्रतियोगिता, नारे, पोस्टर निर्माण गतिविधि कराई गई ताकि ई कचरा को अन्य कचरे में शामिल न करें और न ही उससे छेड़छाड़ करें क्योंकि ऐसा कचरा वातावरण को पूर्ण रूपेण प्रदूषित करती है।

ई-कचरा संग्रहण अभियान में बच्चों ने जुटायी 100 वस्तुएं

सरस्वती विद्या निकेतन में पर्यावरण जागरुकता कार्यक्रम, प्राचार्य शोभा कुमारी ने किया नेतृत्व

हाजीपुर। पर्यावरण संरक्षण और ई-कचरे के सुरक्षित निपटान को लेकर बुधवार को लालगंज स्थित सरस्वती विद्या निकेतन मॉडल स्कूल में ई-कचरा संग्रहण अभियान चलाया गया। अभियान का नेतृत्व प्राचार्य शोभा कुमारी ने किया। अभियान में विद्यालय के बच्चों और शिक्षकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस दौरान करीब 100 अनुपयोगी इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का संग्रह किया गया। इसमें 10 रिमोट बैटरियां, दो मोबाइल फोन, पांच चार्जर, अन्य बैटरियां, एक मोटर, 10 बल्ब, एक सीपीयू, 15 छोटे तार और एक टेलीविजन शामिल है।



विद्यालय का उद्देश्य विद्यार्थियों को ई-कचरे के उचित प्रबंधन, पुनर्चक्रण और पर्यावरण संरक्षण के महत्व से परिचित कराना था। प्राचार्य ने बताया कि ई-कचरे का अनुचित निपटान मिट्टी, जल और वायु को नुकसान पहुंचाता है। इसलिए अनुपयोगी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और बैटरियों को सामान्य कचरे के साथ फेंकने के बजाय निर्धारित संग्रहण केंद्रों पर जमा करना चाहिए, ताकि उनका सुरक्षित निपटान हो सके। उन्होंने कहा कि इस पहल के माध्यम से बच्चों में पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी और स्वच्छता की आदत विकसित करने का प्रयास किया गया। विद्यालय परिवार ने बच्चों को पर्यावरण संरक्षण में सक्रिय भागीदारी का संदेश दिया।

पूर्व मध्य रेल

ऑन लाईन ई-निविदा (खुली) निविदा आमंत्रित सूचना संख्याः ईएल/50/ दानापुर/खुली/24/2026-27

मंडल रेल प्रबंधक, पूर्व मध्य रेल दानापुर भारत के राष्ट्रपति की ओर से दानापुर मंडल में उन संवेदकों से जिनके पास वैध विद्युत लाईसेंस जो राज्य/केन्द्र सरकार के लाईसेंसिंग बोर्ड द्वारा जारी किया गया हो और वे निविदा पत्र में वर्णित अन्य शर्तो को पूरा करते हों उनसे निम्नलिखित कार्य हेतु **ऑन लाईन ई-निविदा** (खुली) निविदा आमंत्रित करते हैं। **निविदा संख्या : ईएल/50/दानापुर /खुली/24/2026-27 (1) कार्य का नामः** दानापुर, पटना और झाझा में रेलवे कॉलोनी क्षेत्र की सड़कों पर सोलर स्ट्रीट लाइटें लगाकर वहां रोशनी की व्यवस्था करना। **(2) अनुमानित लागतः** रू० 7,21,47,504.00 **(3) अग्रधन राशि :** रू० 14,43,000/- **(4) निविदा जमा करने की तिथि एवं समय : 18.11.2026** को **12.00** बजे तक निर्धारित है। **(5) उपरोक्त सभी निविदा की वेबसाइट, नोटिस बोर्ड और कार्यालय :** क्रिस वेबसाइट **http://www.ireps.gov.in** वरीय मंडल बिजली इंजीनियर/सा० का कार्यालय, मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय भवन, पूर्व मध्य रेल, दानापुर।

नोट : (1) विवाद की स्थिति में अंग्रेजी नोटिस मान्य होगा। (2) यदि जरूरी हो तो शुद्धि-पत्र उपरोक्त वेबसाईट पर 15 दिन पहले तक अपलोड होगा।

मंडल रेल प्रबंधक (विद्युत/सा०)/दानापुर

पीआर/1204/डीएनआर/ईएलईसीटी/टी/26-27/44

पूर्व मध्य रेल

ऑन लाईन ई-निविदा (खुली) निविदा आमंत्रित सूचना संख्याः ईएल/50/ दानापुर/खुली/25/2026-27

मंडल रेल प्रबंधक, पूर्व मध्य रेल दानापुर भारत के राष्ट्रपति की ओर से दानापुर मंडल में उन संवेदकों से जिनके पास वैध विद्युत लाईसेंस जो राज्य/केन्द्र सरकार के लाईसेंसिंग बोर्ड द्वारा जारी किया गया हो और वे निविदा पत्र में वर्णित अन्य शर्तो को पूरा करते हों उनसे निम्नलिखित कार्य हेतु **ऑन लाईन ई-निविदा** (खुली) निविदा आमंत्रित करते हैं। **निविदा संख्या : ईएल/50/दानापुर /खुली/25/2026-27 (1) कार्य का नाम :** दानापुर मंडल के अंतर्गत बिना बिजली वाले हॉल्ट स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म क्षेत्र को रोशन करने के लिए सोलर लाइट की व्यवस्था। **(2) अनुमानित लागतः** रू० 7,06,35,360.00 **(3) अग्रधन राशि :** रू० 14,12,700/- **(4) निविदा जमा करने की तिथि एवं समय : 18.11.2026** को **12.00** बजे तक निर्धारित है। **(5) उपरोक्त सभी निविदा की वेबसाइट, नोटिस बोर्ड और कार्यालय :** क्रिस वेबसाइट **http://www.ireps.gov.in** वरीय मंडल बिजली इंजीनियर/सा० का कार्यालय, मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय भवन, पूर्व मध्य रेल, दानापुर।

नोट : (1) विवाद की स्थिति में अंग्रेजी नोटिस मान्य होगा। (2) यदि जरूरी हो तो शुद्धि-पत्र उपरोक्त वेबसाईट पर 15 दिन पहले तक अपलोड होगा।

मंडल रेल प्रबंधक (विद्युत/सा०)/दानापुर

पीआर/1203/डीएनआर/ईएलईसीटी/टी/26-27/44

पटाखा दुकानों का अग्निशमन विभाग ने किया निरीक्षण

महुआ (आससे)। दीपावली पर्व को लेकर महुआ बाजार में अग्निशमन विभाग ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। जिला अग्निशमन पदाधिकारी प्रीति सिंह के दिशा-निर्देश पर बुधवार को अग्निशमन विभाग की टीम ने महुआ बाजार के विभिन्न हिस्सों में पटाखा दुकानों का औचक निरीक्षण किया।निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने दुकानदारों को दीपावली के दौरान अग्नि सुरक्षा को लेकर बरती जाने वाली सावधानियों और महत्वपूर्ण दिशा-निर्देशों की जानकारी दी।

अधिकारियों ने स्पष्ट कहा कि पटाखा बिक्री के दौरान अग्नि सुरक्षा मानकों का पालन करना अनिवार्य है।टीम ने दुकानदारों को निर्देश दिया कि प्रत्येक दुकान में बालू, पानी और अग्निशामक यंत्र अनिवार्य रूप से रखें। ज्वलनशील पदार्थों से दूरी बनाए रखें और दुकान के आसपास धूम्रपान पर पूर्ण प्रतिबंध रखें। साथ ही दुकानों को भीड़-भाड़ वाले स्थानों से हटकर सुरक्षित स्थान पर लगाने की सलाह दी गई।

अनुमंडल अग्निशमालय पदाधिकारी सत्या राज ने बताया कि महुआ के गांधी चौक, गोला रोड, मंगरू चौक, जवाहर चौक, फुदेनी चौक सहित प्रमुख चौक-चौराहों पर विधि-व्यवस्था और पटाखा सुरक्षा को लेकर निरीक्षण किया गया है। उन्होंने कहा कि दीपावली के दौरान आग लगने की घटनाएं बढ़ जाती हैं, इसलिए एहतियात के तौर पर यह अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि दीपावली से पहले सभी चौक-चौराहों पर लगने वाली अस्थायी पटाखा दुकानों का भी जायजा लिया जाएगा और बिना लाइसेंस पटाखा बेचने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षण टीम में सब ऑफिसर मंटू सिंह, सुनील सिंह, सहायक पदाधिकारी विकास कुमार, चंदन कुमार, फूलचंद सिंह, रोशन कुमार, ममता कुमारी, मनोज कुमार झा, अरुण कुमार, पूजा कुमारी आदि मौजूद थे।



अवैध शराब के खिलाफ कारवाई में 6 तस्कर धराये, शराब जब्त

हाजीपुर (आससे)। जिले में अवैध शराब के खिलाफ प्रशासन ने दो अलग-अलग कार्रवाई में बड़ी सफलता हासिल की है। जिलाधिकारी वर्षा सिंह के निर्देश पर मंगलवार को महुआ अनुमंडल पदाधिकारी के नेतृत्व में उत्पाद विभाग ने चार ठिकानों पर छापेमारी की।

गोविंदपुर, महुआ, हरपुर और बाईपास रोड में हुई कार्रवाई में करीब 12 लीटर देसी शराब जब्त कर चार लोगों को हिरासत में लिया गया। सभी के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। जिलाधिकारी ने अवैध कारोबार पर सतत निगरानी और त्वरित कार्रवाई का निर्देश दिया है।

दूसरी कार्रवाई राजापाकर में हुई। बरांटी थाना क्षेत्र के घोड़ा चौक पर अपराह्न गश्ती के दौरान एसआई अवधेश कुमार को सूचना मिली कि दो महिलाएं हाजीपुर से शराब लेकर आ रही हैं। वाहन चेकिंग के दौरान टेंपो से उतरते ही दोनों महिलाएं पुलिस को देखकर भागने लगीं। महिला सुरक्षाबलों के सहयोग से उन्हें पकड़ा गया।

पूछताछ में एक की पहचान ममता देवी पति लखेंद्र सहनी, ग्राम रंदा और दूसरी की बनिया देवी पति स्व. नंदलाल सिंह, अब्दुल्ला चौक, महनार के रूप में हुई। काले झोले से ऑफिसर चॉइस 180 एमएल के 48 पीस और उजले झोले से रॉयल स्टैग 750 एमएल की पांच बोतल बरामद हुई। कुल 12.39 लीटर विदेशी शराब जब्त कर दोनों के विरुद्ध मद्य निषेध अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।

रबी कार्यशाला में संतुलित उर्वरक प्रबंधन पर जोर

सोनपुर कोर्ट। सोनपुर अनुमंडल कार्यालय स्थित ई-किसान भवन, में प्रखंड स्तरीय वासंतिक रबी कार्यशाला का आयोजन बुधवार को किया गया। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य किसानों को रबी फसलों की वैज्ञानिक खेती, जैविक खेती, कीट एवं रोग प्रबंधन तथा कीटनाशकों और उर्वरकों के संतुलित उपयोग के प्रति जागरूक करना था। कार्यक्रम में कृषि विभाग के पदाधिकारियों एवं कर्मियों के साथ महिला एवं पुरुष प्रगतिशील किसानों ने भाग लिया।

कार्यक्रम में कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके), मांझी, सारण के वरीय वैज्ञानिक एवं प्रधान डॉ. रविन्द्र कुमार तिवारी तथा उद्यान विशेषज्ञ डॉ. जितेन्द्र चन्द्र चंदोला की गरिमामयी उपस्थिति रही। इनके साथ प्रखंड तकनीकी प्रबंधक कनकलता कुमारी, सहायक तकनीकी प्रबंधक रवीवाला सोनी, आत्मा अध्यक्ष जनार्दन प्रसाद सिंह, कृषि समन्वयक रामजीत पंडित कुमार शौरभ सहित किसान सलाहकार धीरज कुमार, मनोहर, सुभाष कुमार, रंजीत पासवान और बंटी रजक, श्रवण उपस्थित रहे। कार्यशाला में क्षेत्र के प्रगतिशील महिला एवं पुरुष किसानों ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया।

कार्यशाला के दौरान किसानों को रबी मौसम में गेहूं, दलहन, तिलहन एवं अन्य फसलों की बेहतर पैदावार प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक कृषि तकनीकों को अपनाने की जानकारी दी गई। किसानों को मिट्टी की जांच के आधार पर उर्वरकों का प्रयोग करने, संतुलित मात्रा में खाद देने तथा अनावश्यक रासायनिक उर्वरकों के इस्तेमाल से बचने के लिए प्रेरित किया गया। किसानों को जैविक खाद, कम्पोस्ट, वर्मी कम्पोस्ट तथा उपलब्ध जैविक संसाधनों के उपयोग की जानकारी दी गई।

बताया गया कि जैविक एवं पर्यावरण अनुकूल कृषि पद्धतियों को अपनाने से मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने, कृषि लागत को नियंत्रित करने और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है। किसानों को सलाह दी गई कि वे कीट एवं रोग की सही पहचान करने के बाद ही अनुशंसित दवाओं का निर्धारित मात्रा में प्रयोग करें।

आसनसोल मंडल में विकास संबंधी कार्य के लिए ट्रेनों की नियंत्रण व्यवस्था

परिशिष्ट

आसनसोल मंडल के खाना-आसनसोल खंड में अंडाल में फुट ओवर ब्रिज स्थापित करने के साथ-साथ दुर्गापुर में आर्च ब्रिज नंबर 396ए को हटाने के लिए, **दिनांक 23.12.2026 (बुधवार)** को मेगा ट्रैफिक और पावर ब्लॉक के कारण ट्रेनों के नियंत्रण के संबंध में पूर्व प्रकाशित ऊपर शीर्षक वाले विज्ञापन के संदर्भ में, यह सूचित किया जाता है कि उक्त ब्लॉक के कारण निम्नलिखित ट्रेनें भी निम्नानुसार नियंत्रित की जाएंगी:-

- **पुनर्निर्धारण: 13037 हावड़ा-देहरादून कुंभ एक्सप्रेस** (यात्रा शुरू दिनांक 23.12.2026) 150 मिनट के लिए पुनर्निर्धारित की जाएगी।
- **मार्ग परिवर्तन: 12260 बीकानेर-सियालदह दुरंतो एक्सप्रेस** (यात्रा शुरू दिनांक 22.12.2026) को पं. दीन दयाल उपाध्याय जं.-गया-किऊल-भागलपुर-गुमानी-रामपुरहाट-सांइथिया-खाना होकर मार्ग परिवर्तित किया जाएगा।
- मेल/एक्सप्रेस ट्रेनें और ट्रेन्स ऑन डिमांड (टीओडी), यदि देर से चल रही हैं, तो सुविधानुसार नियंत्रित की जा सकती हैं। असुविधा के लिए खेद है।

मंडल रेल प्रबंधक, आसनसोल

पूर्व रेलवे

हमें यहाँ देखें : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

पूर्व मध्य रेल

ई-खुली निविदा

खुली ई-निविदा सूचना संख्या- एल.-ओपेन - 26-27-19, दिनांक 23.10.2026

मंडल रेल प्रबंधक (विद्युत/सामान्य)/सोनपुर वास्ते भारत के राष्ट्रपति की ओर से निम्नलिखित कार्य के लिए 'खुली ई-निविदा' आमंत्रित करते हैं। खुली ई-निविदा की अंतिम तिथि **दिनांक. 18.11.2026** को **12.30** बजे तक निर्धारित की गई है। खुली ई-निविदा संबंधी निविदा प्रपत्र का अवलोकन वेबसाईट **www.ireps.gov.in** पर किया जा सकता है।

क्रम सं० (1) कार्य का नाम : सोनपुर मंडल के स्टेशनों पर विद्युत परिसंपत्तियों का उन्नयन से सम्बन्धित कार्य। **अनुमानित लागत (रू. में) :** 1,07,38,571.00 **बयाने की राशि (रू. में) :** 2,14,800.00 **निविदा प्रपत्र की कीमत अप्रतिदेय (रू. में) :** 00.00

उपरोक्त निविदा सूचना वेबसाईट पर उपलब्ध है। निविदा संबंधी रेल का अधिकार किसी भी समय निविदा को स्थगित करने/निरस्त करने अथवा निविदा में सुधार करने हेतु रेलवे का अधिकार सुरक्षित रहेगा। निविदादाता का इसमें कोई दाबा मान्य नहीं होगा।

वरि. मंडल विद्युत इंजीनियर (विद्युत/सा०), सोनपुर

पीआर/1196/एसईई/ईएलईसीटी/टी/26-27/36

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर)

अनुसंधान भवन, 2, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001

विज्ञापन सं. 05/2026

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर), सीएसआईआर- केन्द्रीय कांच एवं सिरामिक अनुसंधान संस्थान (सीएसआईआर-सीजीसीआरआई), कोलकाता के निदेशक के पद हेतु सीएसआईआर में लागू भत्तों सहित पे-मैट्रिक्स के लेवल 15 (रु. 1,82,200-2,24,100) में आवेदन/नामांकन आमंत्रित करता है।

पात्रता मानदंड एवं अन्य शर्तों के लिए, कृपया सीएसआईआर की वेबसाइट www.csir.res.in पर विस्तृत/पूर्ण विज्ञापन संख्या 05/2026 देखें। आवेदन/नामांकन पूर्ण बायोडाटा और प्रकाशनों/पेटेंटों आदि की सूची सहित ई-मेल के माध्यम से ई-मेल आईडी drc.hqrs@csir.res.in पर अथवा डायरेक्टर रिक्रूटमेंट सेल, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर), अनुसंधान भवन, 2, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001 को डाक द्वारा दिनांक **30/11/2026** को अथवा उससे पहले भेजें।

cbc 36202/11/0021/2627

वर्गीकृत

नाम परिवर्तन

मैं, सुबोध कुमार, पिता-स्व. विजय कुमार लाल, निवासी-फ्लैट नं.-0-102, शु-शारदा रेसिडेंसी, पश्चिमी पटेल नगर, नियर सोना मेडिकल हॉल, जिला-पटना-800023, बिहार, द्वारा यह घोषणा करता हूं कि मैंने अपने पुत्र का नाम Ishitw Kashyap से परिवर्तित कर Ishitva Srivastava कर दिया हूं। भविष्य में मेरा पुत्र Ishitva Srivastava के नाम से जाना एवं पहचाना जायेगा। शपथ पत्र संख्या 5348, दिनांक 26.10.2026

शपथ पत्र

मैं, आकांक्षा रानी बर्नवाल पिता-श्री संजय कुमार प्रसाद ग्राम+पो.-सासामुसा एनएच-28, जिला-गोपालगंज बिहार शपथ पत्र संख्या-81675, दिनांक 27.10. 2026 के द्वारा घोषणा करती हूं कि आकांक्षा रानी बर्नवाल उर्फ धारा बर्नवाल दोनों नामों से जानी और पहचानी जाती हूं। भारतीय जीवन बीमा निगम की पॉलिसी संख्या 559667384 में मेरा नाम आकांक्षा रानी बर्नवाल है जबकि आधार कार्ड में मेरा नाम धारा बर्नवाल है।

9/600/26

नाम परिवर्तन

मैं, पूनम तिवारी, पति-बबलू तिवारी, निवास ग्राम-कुअवा, पो.-काशी पकड़ी थाना-राजेपुर जिला-पूर्वी चम्पारण (बिहार) शपथ पत्र सं.-2062 ता. 6.10. 26 द्वारा यह घोषणा करती हूं कि मेरे आधारकार्ड में मेरा नाम सुदेहिमा कुंवर दर्ज हो गया है, जो गलत है। अब मैं पूनम तिवारी के नाम से जानी एवं पहचानी जाऊंगी।

CM-6757

शपथ पत्र

मैं,अनन्या रानी बर्नवाल पिता श्री संजय कुमार प्रसाद ग्राम+पो.-सासामुसा एनएच-28, जिला-गोपालगंज बिहार शपथ पत्र संख्या-81676, दिनांक 27.10. 2026 के द्वारा घोषणा करती हूं कि अनन्या रानी बर्नवाल उर्फ प्रांजली बर्नवाल दोनों नामों से जानी और पहचानी जाती हूं। भारतीय जीवन बीमा निगम की पॉलिसी संख्या 559667385 में मेरा नाम अनन्या रानी बर्नवाल है जबकि आधार कार्ड में मेरा नाम प्रांजली बर्नवाल है।

9/600/26

पाठकों से

'आज' में छपे किसी भी विज्ञापन के सम्बन्ध में पाठक स्वत: जांच करके कार्य करें। इसके संबंध में कोई भी दावा 'आज' प्रकाशन पर न होगा।

प्रबंधक

NAME CHANGE

I, BIPIN KUMAR, S/o DEENA NATH PASWAN, aged about 34 years, resident of Village Khamhar, Ward No- 01, P.O- Khamhar, P-S- & Mufassil, District & Begusarai, Bihar 851131, have changed my name from BIPIN KUMAR to PREM KUMAR. I shall henceforth be known, called and identified as PREM KUMAR for all purposes and in all records/ documents. Affidavit No-: 5746, Date: 14.08.2026

NAME CHANGE

I, FULI DEVI, Wife of RAJA RAM PASWAN, and Daughter of GORAKH PASWAN, aged about 48 years, resident of Village & Khamhar, Ward No- 01] P-O- Khamhar, P-S- Mufassil, District & Begusarai, State Bihar 851131, have changed my name from FULI DEVI to BABITA DEVI. I shall henceforth be known and identified as BABITA DEVI for all purposes. This is to inform the public and all concerned that the change of name has been made pursuant to my affidavit sworn before the Notary Public, Begusarai, vide Affidavit No- 5744 dated 14.08.2026.

ब अदालत, सिविल जज (सीनियर डिविजन) द्वितीय

अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय

मोकाम-सोनपुर, जिला-सारण

हकियत वाद संख्या-117 सन् 2026 ईस्वी

बच्चा तिवारी-मुदई (वादी)

बनाम

कामेश्वर महतो एवं अन्य-मुदालहम् (प्रतिवादीगण)

पेपर प्रकाशन नोटिसः-

नोटिस बनाम मुदालहम्-1. कामेश्वर महतो वल्द स्व. पारस महतो, 2. धर्मेन्द्र महतो, 3. हरेन्द्र महतो वल्दान स्व. चन्देश्वर महतो ग्राम-सुतिहार टोले मठिया, पो. -सुतिहार, थाना-डेरनी, अंचल-दरियापुर, जिला-सारण, बिहार-मुदालह फरीक-1, 4. साधु शरण यादव वल्द श्री जमादार राय ग्राम+पो.-सुतिहार, थाना-डेरनी, जिला-सारण, बिहार-मुदालह फरीक-2, 5. लालमुनी देवी जौजे राजू साह, निवासी ग्राम-हरिहरपुर कोठी, पो.-पिरारी, थाना-डेरनी, जिला-सारण, बिहार-मुदालह फरीक-3

चूं बजरिये पेपर प्रकाशन के माध्यम से आप लोगों को सूचित किया जाता है कि वादिनी (मुदईया) के द्वारा आप लोगों के विरुद्ध हकियत वाद सं.-117 सन् 2026 दायर किया गया है, जिसमें आप लोगों के ऊपर रजिस्टर्ड डाक वो अदालत के चपरासी द्वारा सम्मन भेजने के बावजूद आप लोग न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए हैं।

अत: पेपर प्रकाशन के माध्यम से आप लोगों को सूचित किया जाता है कि आप लोग दिनांक 30.11.26 को समय 10.30 बजे पूर्वाह्न सिविल जज (सीनियर डिविजन) द्वितीय सोनपुर, सारण के न्यायालय में स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर अपना पक्ष रखें अन्यथा आप लोगों के विरुद्ध एकपक्षीय सुनवाई कर दी जायेगा।

इसे ताकिद जाने।

आज दिनांक-26-10-26 को मेरे हस्ताक्षर एवं मुहर से जारी हुआ।

सिविल जज (सीनियर डिविजन) द्वितीय

अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय

मोकाम-सोनपुर, जिला-सारण

ब अदालत, सिविल जज (सीनियर डिविजन) द्वितीय

अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय

मोकाम-सोनपुर, जिला-सारण

हकियत वाद संख्या-98 सन् 2026 ईस्वी

दरोगा राय-मुदई (वादी)

बनाम

राम प्रकाश एवं अन्य-मुदालहम् (प्रतिवादीगण)

पेपर प्रकाशन नोटिसः-

नोटिस बनाम मुदालहम्-2. ओम प्रकाश पंडित वल्द स्व. जयवीर पंडित, 4. ममता देवी जौजे ओम प्रकाश पंडित ग्राम-सैदपुर, पो.+थाना+अंचल-सोनपुर, जिला-सारण, बिहार 841101 मुदालह फरीक-1, 8. सुभाष राय वल्द स्व. रामाशंकर राय ग्राम-सैदपुर, पो.+थाना+अंचल-सोनपुर, जिला-सारण, बिहार 841101 9. गणेश राय वल्द गोपाल राय, 10. मंजु देवी जौजे रामचन्द्र राय, 11 राम चन्द्र राय वल्द गोपाल राय ग्राम-सैदपुर नौडिहां, पो. -रहिमपुर, थाना+अंचल-सोनपुर, जिला-सारण, बिहार 8411101-मुदालहम्

चूं बजरिये पेपर प्रकाशन के माध्यम से आप लोगों को सूचित किया जाता है कि वादिनी (मुदईया) के द्वारा आप लोगों के विरुद्ध हकियत वाद सं.-98 सन् 2026 दायर किया गया है, जिसमें आप लोगों के ऊपर रजिस्टर्ड डाक वो अदालत के चपरासी द्वारा सम्मन भेजने के बावजूद आप लोग न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए हैं।

अत: पेपर प्रकाशन के माध्यम से आप लोगों को सूचित किया जाता है कि आप लोग दिनांक 23.11.26 को समय 10.30 बजे पूर्वाह्न सिविल जज (सीनियर डिविजन) द्वितीय सोनपुर, सारण के न्यायालय में स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर अपना पक्ष रखें अन्यथा आप लोगों के विरुद्ध एकपक्षीय सुनवाई कर दी जायेगा।

इसे ताकिद जाने।

आज दिनांक-26-10-26 को मेरे हस्ताक्षर एवं मुहर से जारी हुआ।

सिविल जज (सीनियर डिविजन) द्वितीय

अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय

मोकाम-सोनपुर, जिला-सारण